



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): FARIDABAD P.S. (थाना): SECTOR-31 Year (वर्ष): 2018
FARIDABAD
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0218 Date (दिनांक): 06/04/2018
11:05

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	THE HARYANA PROTECTION OF INTERERST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ACT, 2013 (HARYANA ACT NO. 32 OF 2014)	3
2	IPC 1860	120-B
3	IPC 1860	406
4	IPC 1860	420

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): Time (समय):
06/04/2018 11:05 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): Time (समय):
019 06/04/2018
17:24 hrs



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): NORTH-EAST, 1 Km(s) Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): DLF SEC 31,
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): SATBIR
(b) Father's Name (पिताका नाम): HARI DAS
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1978 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Occupation (व्यवसाय):

(h) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	VILLAGE MACHCHHGAR, CHHANSA, FARIDABAD, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	VILLAGE MACHCHHGAR, CHHANSA, FARIDABAD, HARYANA, INDIA



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

(i) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	अनिल जिन्दल चेयरमैन		
2	प्रतीक जिन्दल		
3	विनोद गर्ग मामा		
4	बिशन बसल		
5	नानक तायल		
6	पी०के० कपूर		
7	जे०के० गर्ग		
8	अन्य डायरेक्टर्स तथा एम्पालाईज		

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):
11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे, श्रीमान पुलिस कमिश्नर साहब, सैक्टर-21 सी, फरीदाबाद । विषय:- शिकायत खिलाफ अनिल जिन्दल चेयरमैन, एस0 आर0 एस0 ग्रुप प्रतिक जिन्दल, विनोद गर्ग (मामा), बिशन बंशल, नानक तायल, पी0 के0 कपूर, जे0 के गर्ग व अन्य डायरेक्टर्स तथा एम्पलाईज द्वारा मुझसे व जनता से पूर्वनियोजित षडयंत्र के तहत सैकडो नामी बेनामी कम्पनीज बनाकर जालसाजी व धोखाधड़ी कर हमारी सारी उम्र की कमाई हडपने बाबत । श्रीमान जी, मैं सतबीर पुत्र श्री हरीदास निवासी मच्छगर का हुं। यह है कि बिसन वंसल पुत्र नानक वंसल निवासी मकान नं0 डी 2-54/10 डी0 एल0 एफ0 फरीदाबाद का निवासी है। यह है कि मेरी इससे अच्छी जान पहचान है। बिसन बंसल व उसके पिता नानक बंसल ने मुझसे कहा की अनिल जिंदल चेयरमैन एस0 आर0 एस0 ग्रुप प्लॉट व फ्लैट बना रहा है। आप वहाँ एक लाख, दस लाख, पचास लाख या जितने भी पैसे लगा सकते है । मैं जल्द ही आपको आपके लगाए गये पैसे की कीमत का प्लॉट या फ्लैट सस्ती कीमत पर दिला दंगा जो जल्द ही दो तीन गुणा का हो जाएगा तब तक आपको 1.5 प्रतिशत प्रति माह का ब्याज भी मिलता रहेगा उसे आप ले भी सकते है या जमा भी कर सकते है जब मर्जी जितना मर्जी पैसा और भी जमा करवा सकते है तथा जब मर्जी सारा या कम पैसा वापस ले सकते है । यह बिसन बंसल व उसके पिता नानक बंसल मुझे एस0 आर0 एस0 ग्रुप के ऑफिस ले गए वहा भी मुझे यही बात बताई गई मैंने उसके झासे में आकर पैसे जमा कराता रहा जो की 2015 में 62,80,809/- रुपये हो गए। वर्ष 2015 के आखिर में मुझे पता चला की बिशन बंसल व अनिल जिन्दल चेयरमैन एस0 आर0 एस0 ग्रुप व उसके साथियो ने मिलीभगत, जाल साजी से हजारो लोगो से हजारों करोड ऐसे ही प्लॉट, फ्लैट, व ब्याज के झासे में फंसा कर पैसा ले रखा है। हम लोगो ने बिसन बंसल के यहा आंदोलन धरना प्रर्दशन किया अनिल जिन्दल चेयरमैन एस0 आर0 एस0 ग्रुप व बेटा प्रतीक जिन्दल, नानक तायल व इनके अन्य साथी मौके पर आये व उन्होने वादा किया कि सब के पैसे हमारे पास है हम सबको जल्द दे देंगे आप लोग



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

हमारे ऑफिस में आए । हमे नानक बंसल, अनिल जिन्दल के ऑफिस ले गया वहा पर अनिल जिन्दल, प्रतिक जिन्दल, बिसन बंसल व नानक तायल सब बैठे थे उनसे मिलवाया अनिल जिन्दल व अन्य लोगों ने बहला फुसला कर उन्होने मुझे 29,000,00/- रू0 दिनांक 01.09.2014 व 13,000,00/- रू0 की एफ0 डी0 रसीद न0 बी12/डी 22 दिनांक 20.04.2015 एक वर्ष की बनाकर दे दी जो 15,73,000/- रू0 20.04.2016 को व इसी प्रकार एक अन्य एफ0 डी0 रसीद न0 बी15/बी/12, 09.02.2015 को 14,00,000/- रू0 की जो दिनांक 09. 08.2018 को पूरी हो जानी है जो 28,00000/- बिसन बंसल के हस्ताक्षर कर के दे दी गई। कुछ लोगो से मुझे पता चला है की फर्जी कम्पनी के चैक भी दे दिए है जो की चैक बाउन्स हो गए है । अब चैक बाउन्स होने वालो को ठगने के लिए 15/20 हजार की डायमंड की ज्वेलरी एक लाख रू0 के हिसाब से चेप रहे यह भी सरासर पूर्वनियोजित जालसाजी व धोखाधड़ी है। मुझे भी दिनांक 11.01.2017 को 3,78,500/- रू0 की ज्वेलरी दे दी जिसकी कीमत मात्र लगभग 50,000/-रू0 है । चिट फंड कम्पनी की तर्ज पर पूर्वनियोजित षडयंत्र के तहत मिलीभगत, जालसाजी व धोखाधड़ी कर मेरी सारी उम्र की कमाई हडप ली। अब पता चला है कि बिसन वंसल व अनिल जिन्दल व उनके साथियो ने यह कम्पनी लोगो को धोखा देने व पैसा हडपने के लिए बनाई थी। सुना है कि इस कम्पनी के छः हजार लोगो को चैक युनियन बैंक के अपने बॉडी गार्ड देविन्द्र अधाना (निवासी तिगांव) को फूल टाइम डायरेक्टर बना कर उसके दस्तखत करवा कर दे चुका है। जो सभी अब बाउन्स हो रहे है। यह पूर्वनियोजित धोखाधड़ी व जालसाजी है । अनिल जिन्दल ने यह कम्पनी पहले बिसन बंसल व नानक तायल के नाम रजिस्टर्ड करवाई जो कि इसकी कई अन्य कम्पनी में भी डायरेक्टर है। फिर जालसाजी व धोखाधड़ी कि नीयत से अपने बॉडी गार्ड देविन्द्र को फूल टाइम डायरेक्टर बना कर उसके चैको पर दस्तखत करवा कर लोगो को दे दिए यह सरासर धोखाधड़ी है । इन्होने लोगो को ठगने के लिए और भी सैकडो नामी बेनामी कम्पनी बना रखी है जिसमे हजारो हजार करोड बैंको से व अन्य लोगो से धोखाधड़ी कर रखी है. अब धीरे-धीरे सब भेद खुल रहे है अतः आपसे अनुरोध है कि मैने अपनी कमाई व अपने भाइयो से व अपने रिश्तेदारों से पैसा लेकर इसमे इनके झासे में आकर लगा दिया है जिसमें अनिल जिन्दल, प्रतिक जिन्दल, बिसन बंसल व इसके पिता नानक बंसल, नानक तायल, बिनोद मामा व इसके कर्मचारी अजय व अरुण साथियो ने मेरी सारी उम्र की कमाई हडप ली है इनसे मुझे मेरी सारी उम्र की कमाई वापिस दिलाई जाये। इनकी सी0 बी0 आई0 और ई0 डी0 से जाँच कराई जाए। अनिल जिन्दल समेत सभी के पासपोर्ट जब्त किए जाय यह कभी भी विदेश भाग सकते है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

कार्यवाही की जाय । धन्यवाद दिनांक :- 22- 3- 2018 रसीद फोटोकॉपी संलग्न SD:- Satbir प्रार्थी सतबीर पुत्र श्री हरीदास निवासी गाँव मच्छगर, तहसील बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद, हरियाणा। मो0 नं0:-1. 99903181812. 9990328181 कॉपी प्रेषित है द्वारा ईमेल :- 1. माननीय चीफ जस्टिस पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट। - 2. माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार नई दिल्ली।। 3. माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हरियाणा सरकार । १०\६ । 4. माननीय गृहमंत्री जी, भारत सरकार । 5. माननीय वित्तमंत्री महोदय जी, भारत सरकार ।। 6. माननीय कानून मंत्री महोदय जी, भारत सरकार।। 7. श्रीमान डी0 जी0 पी0 साहब पंचकुला हरियाणा पुलिस श्रीमान सूचनार्थ एवम उचित कार्यवाही हुतु प्रेषित है । अज थाना :- आज दिनांक 06.04.2018 को एक परिवाद नम्बरी-365/Peshi दिनांक 22-3-18 मय साथ संलग्न परिवादे बजरिया डाक बाद राय ADA साहब वा बा आदेश अफसरान बाला बराये दर्ज मुकदमा थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा नम्बर 218 दिनांक 06.04.2018 U/s 420, 406,120B IPC 3 of the Haryana protection of interest of depositors in F.E Act-2013 थाना सैक्टर - 31 फरीदाबाद में दर्ज रजिस्टर किया जाकर मुकदमा हजा की कम्प्युटराईज प्रतिया नियमानुसार तैयार करके समबन्धित अफसरान बाला वा इलाका मजिस्ट्रेट की सेवा मे भेजी जाएगी। नकल मिशाल पुलिस मय असल परिवाद आगामी तफतीश हेतु निज्द प्रभारी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ सैक्टर-12, फरीदाबाद बजरिया डाक भेजी जाएगी । जो प्रभारी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ सैक्टर-12, फरीदाबाद की ID ना होने मुकदमा हजा को ASI जयपाल की ID मे दर्ज किया जा रहा है । ले0 AC

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)
Jaipal

No. (सं.): 244 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Amit Kumar

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): PINSP

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					Is Proxitted: Yes
2	Male					Is Proxitted: Yes
3	Male					Is Proxitted: Yes
4	Male					Is Proxitted: Yes
5	Male					Is Proxitted: Yes
6	Male					Is Proxitted: Yes
7	Male					Is Proxitted: Yes
8	Male					Is Proxitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)